संख्या-282/2024/551/22-2-2023-17(230)/2018

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 *लखनऊ: दिनांक 12 नवम्बर, 2024*

विषय:-केन्द्रीय कारागार आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सतनाम पुत्र श्री दिलीप सिंह, निवासी जनपद-मेरठ की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक कारागार (मु0) के पत्र संख्या-2226/प्रो0/214/पार्ट-4, दिनांक 24.01.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सतनाम पुत्र श्री दिलीप सिंह, निवासी-11/5 गंगानगर कालोनी, थाना-गंगानगर, जनपद-मेरठ का निवासी है। बंदी द्वारा दिनांक 28/29.09.2001 को 14 वर्षीय अपनी ही पुत्री कु0 गुरूप्रीत के साथ कई बार बलात्कार किया गया तथा मां को बताने पर जान से मारने की धमकी देता रहा। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-833/2001 में भा0द0वि0 की धारा-376(1), 328, 506 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-6, मेरठ के आदेश दिनांक 21.10.2002 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसकी अपील मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में लम्बित है। बन्दी द्वारा दिनांक 21.06.2022 तक 20 वर्ष 08 माह 21 दिन की अपरिहार सजा तथा 25 वर्ष 00 माह 29 की सपरिहार सजा भोगी गयी है। दयायायिका समिति द्वारा बन्दी द्वारा कारित अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता तथा समाज को प्रभावित करने वाले अपराध के दृष्टिगत समिति द्वारा शासनादेश संख्या-564/2018/1106/22-2-2018-07जी0/2018, दिनांक 01.08.2018 एवं यथा संशोधित शासनादेश संख्या-120/2021/1382/22-2-2021-07जी0/2018, दिनांक 28.07.2021 तथा संशोधित शासनादेश संख्या-52/2022/1240/22-2-2022-07जी0/2018, दिनांक 27.05.2022 के प्रस्तर-12 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी सतनाम पुत्र श्री दिलीप सिंह, निवासी जनपद-मेरठ की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नही की गयी है।

3- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सतनाम (बन्दी सं0-7974) पुत्र श्री दिलीप सिंह, निवासी जनपद-मेरठ की संविधान का अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या- 282/2024/551(1)/22-2-2023 तद्दिनांक....

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ ।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।

3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका सं0-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य व अन्य से आच्छादित होने के दृष्टिगत इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया प्रश्नगत वाद में तद्नुसार अनुपालन आख्या (सी0ए0) दाखिल कराने का कष्ट करें।

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

विनोद कुमार द्विवेदी

उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।